

डिकी मुकदमें इम्बदाई
(आदेश 20 नियम 6,7 जाया दीयानी)
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-झाड़ेली
मु0न0/38/2018
राजस्व लोक अदालत अभियान
स्याय आपके द्वार-2018

वादीगण-

1. रामनिवास पुत्र ठाकुराम
2. कलाराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी धारणा तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. विरमाराम पुत्र हीराराम
2. कुनाराम
3. ओमप्रकाश पुत्रगण हजारीराम
4. हेमी देवी पत्नी हजारीराम
5. गलकु पुत्री हजारीराम जातियान मेघवाल निवासीगण धारणा तहसील जायल व जिला नागौर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955


निर्णय दिनांक :-20.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूचरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति में हुकूम दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. प्रतिवादी विरमाराम के हक वंट में मौजा धारणा का खेत ख नं 50 रकवा 17.10 वीघा ख नं 51 रकवा 1.17 वीघा भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 1 रामनिवास हक वंट में मौजा धारणा का खेत ख नं 93 रकवा 12 वीघा, ख नं 351/955 रकवा 0.09 वीघा, ख नं 352/954 रकवा 1.07 वीघा में से 0.18 वीघा पश्चिमी, ख नं 352/951 रकवा 0.9 वीघा, ख नं 351 रकवा 0.09 वीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 2 कलाराम हक वंट में मौजा धारणा का खेत ख नं 352 रकवा 1.06 वीघा में से 0.09 वीघा पूर्वी भाग, ख नं 352/954 रकवा 1.07 वीघा में से 0.09 वीघा पूर्वी भाग तथा ख नं 24 रकवा 18.01 वीघा में से 5.6 वीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी कुनाराम हक वंट में मौजा धारणा का खेत ख नं 24 रकवा 18.01 वीघा में से 5.1 वीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी ओमप्रकाश हक वंट में मौजा धारणा का खेत ख नं 24 रकवा 18.01 वीघा में से 5.7 वीघा व ख नं 352 रकवा 1.06 वीघा में से 0.17 वीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
6. प्रतिवादी हेमी देवी व गलकु देवी के हक वंट में मौजा धारणा का खेत ख नं 24 रकवा 18.01 वीघा में से 1.01 वीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

डिकी मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख तारीख वमूल योगो तक x मुकदमे के आज दिनांक 20.06.2018 को जारी किया गया।



(सरज प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
जायल, जिला नागौर

मुद्दे	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प यकालतनामा		
स्टाम्प यकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमी"नर		
फीस कमी"नर			बाबत इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(सुख प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
जायल, जिला नागौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत- झाड़ेली

क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/ 811

दिनांक- 29.6.18

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिकरी आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी, जायल
जायल, जिला नागौर